बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–::संकल्प::–

पटना–15, दिनांक.....

श्री रजनीश लाल (बि०प्र०से०), कोटि क्र०–153/24. तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–23/21 दिनांक 22.06.2021 दर्ज किया गया। इसके लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6900 दिनांक–09.07.2021 द्वारा श्री लाल को निलंबित किया गया।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5775 दिनांक–14.09.2021 से प्राप्त आरोप–पत्र के आधार पर विभाग के स्तर पर आरोप गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–12089 दिनांक–08.10.2021 द्वारा श्री लाल से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री लाल द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16419 दिनांक–24.12.2021 द्वारा श्री लाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। कालांतर में श्री लाल को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–943 दिनांक–16.01.2024 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–15389 दिनांक–19.08.2025 द्वारा श्री लाल से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री लाल के पत्रांक–154 दिनांक–29.11.2025 द्वारा वांछित बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. श्री लाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत संकल्प ज्ञापांक 6145 दिनांक 06.04. 2026 द्वारा "दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

5. संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री लाल द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमे मुख्य रूप से इनका कहना है कि :–

(i) संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन पूरी तरह एकतरफा है, जिसमें इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य/दस्तावेज/बचाव पक्ष के गवाहों के बयान को नजरअंदाज किया गया है। नोटरी अधिनियम की धारा–8 के तहत एक नोटरी को दस्तावेजों को प्रमाणित करने का वैधानिक अधिकार है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि Unregistered agreement to sell को Specific performance हेतु साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अपंजीकृत दस्तावेज का उपयोग सांपार्श्विक लेनदेन (collateral Transaction) को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है।

(ii) नगद राशि की प्राप्ति घर पर संभव थी, क्योंकि वह एकतरफा प्राप्ति थी, परन्तु बैंक में जमा करना एक सार्वजनिक प्रक्रिया थी, जिसके लिये लॉकडाउन और व्यक्तिगत अस्वस्थता के कारण बाहर निकलना संभव नहीं था। कोरोना काल एवं लॉकडाउन के दौरान

भौतिक रूप से निबंधन कार्यालय जाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में नोटरी के समक्ष निष्पादित दस्तावेज को पूरी तरह नकारना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है।

(iii) इनके आवासीय मकान से रू.41,90,000/– जब्त किया गया था, जिसमें 40,00,000/– रूपये श्री संजय कुमार शर्मा एवं अन्य के साथ फ्लैट बिक्री के लिए हुए एकरारनामा के तहत प्राप्त अग्रिम राशि थी। शेष 9,01,800/– रू० इनकी माता के आवास से बरामद हुए थे, जो उनकी निजी थी। जाँच पदाधिकारी द्वारा इनकी आय को कम करके आँका गया है। अतिरिक्त सम्पत्ति का आरोप केवल काल्पनिक गणनाओं पर आधारित है।

(iv) कुल 5 संपत्तियों में से मात्र एक फ्लैट इनके नाम पर है। शेष चार अचल संपत्तियाँ इनके पिता एवं इनके ससुर द्वारा क्रमशः अपनी पत्नी, बेटी और नतनी के नाम से क्रय की गयी थी, जिसका भुगतान इनके ससुर द्वारा बैंक चेक/NEFT/RTGS के माध्यम से किया गया है। लगाये गये आरोप केवल अनुमानों पर आधारित है। इनके द्वारा प्रस्तुत विधिक तथ्यों, बैंक ट्रांजेक्शन एवं विधिक दस्तावेजों की अनदेखी की गयी है।

6. श्री लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि:–

(i) आरोपी पदाधिकारी के आवासीय मकान से जब्त की गयी राशि के संबंध में इनके द्वारा प्रस्तुत सेल डीड एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, यह मात्र नोटराइज्ड था। आरोपी पदाधिकारी इतने Heavy Amount Cash में डील करने के संबंध में संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सके। इन्होंने कहा कि मनोबंधन पत्र दिनांक 15.06.2021 को बनवाया गया था तथा स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के कारण वे राशि बैंक में जमा नहीं कर सके, जबकि मनोबंधन पत्र में वर्णित दिनांक 12.04.2021 से 11.06.2021 की उसी कोरोना अवधि में वे बैंक में प्राप्त राशि जमा नहीं कर सके परन्तु, कैश प्राप्त कर सके, ये विरोधाभास है।

(ii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा रू.41,90,000/– की बरामदगी अपने आवास से बतायी गयी है जबकि आवासीय मकान की तलाशी में रु० 50,91,800/– रूपया प्राप्त हुआ था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा इसे चैलेंज नहीं किया गया है। रू० 9,01,800/– इन्होंने अपने माँ के आवास से बरामदगी बतायी है।

(iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अंकित गणनाओं के अनुसार आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग कर वैध आय से रू. 78,97,589 /–अधिक संपत्ति अर्जित किया गया है।

(iv) संपत्ति की उद्घोषणा में 5 संपत्तियों का उल्लेख के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि प्राथमिकी की कंडिका–4 क्रमांक–1 पर अंकित संपत्ति की उद्घोषणा की गयी है। शेष वर्णित संपत्तियों का ब्योरा इनके द्वारा इसलिए अंकित नहीं किया गया है, क्योंकि इन संपत्तियों का क्रय इनके द्वारा नहीं किया गया है। अपने परिवार के सदस्यों के नाम से क्रय की गयी अचल संपत्ति का विवरण अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी में अंकित नहीं करना और सरकार को इससे अवगत नहीं कराना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19 का उल्लंघन है।

7. समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री लाल के समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है, तथा उनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए संकल्प ज्ञापांक 6145 दिनांक 06.04.2026 द्वारा अधिरोपित दंड "दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

8. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रजनीश लाल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–153/24, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6145 दिनांक 06.04.2026 द्वारा अधिरोपित दंड "दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

निबंधित/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/आरोप–01–51/2021 सा0प्र0 8928 /पटना–15, दिनांक 20.5.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/श्री रजनीश लाल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–153/24, अपर समाहर्त्ता, (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5/26
सरकार के अपर सचिव।